(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1481–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–2–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 249/अपील/2010–11.

1– रामसिंह आत्मज स्व. मोहनलाल
2– हीरालाल आत्मज स्व. मोहनलाल
3– देवीसिंह आत्मज स्व. मोहनलाल
4– मेहताब सिंह आत्मज स्व. मोहनलाल
निवासीगण ग्राम खजूरीकला
बी.एच.ई.एल. भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– खुमानसिंह आत्मज घीसीलाल
निवासी ग्राम खजूरीकला
मोहल्ला सोनपुरा, बी.एच.ई.एल. भोपाल
2– भंवर जी आत्मज कनीराम
निवासी राम मन्दिर के पास
ग्राम खजूरीकला, भेल भोपाल
3– शिवप्रसाद आत्मज घीसीलाल
निवासी ग्राम खजूरीकला
मोहल्ला सोनपुरा, बी.एच.ई.एल. भोपाल .....अनावेदकगण

श्री दिलीप बलवानी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रेम सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/13 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके चाचा स्व. हल्कू सिंह द्वारा उनके स्वत्व की खसरा नम्बर 706/4 रकबा 1.38, खसरा नम्बर 710/4 रकबा 1.12, खसरा नम्बर 711/4 रकबा 2.8, खसरा नम्बर 714/4 रकबा 1.61 एवं खसरा नम्बर 715/4 रकबा 1.44 कुल 7 एकड़ 63 डेसीमल भूमि का वसीयतनामा उनके पक्ष में दिनांक 12–6–2002 को निष्पादित किया गया है । हल्कू सिंह का स्वर्गवास दिनांक 15–6–2002 को हो गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर उनका नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 103/अ–6/02–03 दर्ज कर दिनांक 27–3–03 को आदेश पारित कर वसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, एम.पी. नगर वृत्त भोपाल के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 2–11–10 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–1–11 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नही होना मान्य कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–2–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर नियमानुसार उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोष के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रमाण प्रस्तुत किया गया था कि अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी वर्ष 2008 में ही हो चुकी थी, फिर भी अपर आयुक्त द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत अपील स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय को केवल समय–सीमा के बिन्दु पर ही विचार करना था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर नामान्तरण की कार्यवाही को विधि

विरूद्ध ठहराने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व नही है, और न ही वे हितबद्ध व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि स्व. हल्कू सिंह की एकमात्र मालिकी एवं स्वामित्व की है, जो उसे बटवारे में प्राप्त हुई थी । ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को सूचना दिये जाने का कोई औचित्य ही नहीं था । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष के मध्य व्यवहार वाद लम्बित है, परन्तु इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा म्याद अधिनियम की धारा 5 के सिद्धान्तों के विपरीत विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही से मुकदमे का कभी अन्त नहीं हो सकता।

उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण स्व. भूमिस्वामी हल्कू सिंह के भाई मिश्रीलाल के वारिस होकर हितबद्ध व्यक्ति हैं, फिर भी तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । यह भी कहा गया कि जिस वसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, वह वसीयतनामा कूटरचित एवं फ़र्जी है, क्योंकि जिन स्टाम्प पेपर्स में वसीयतनामा लिखा गया है, वे स्टाम्प अलग–अलग दिनांकों के होकर वसीयतनामा में उल्लेखित तथ्य भी मनगढंत हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि वसीयतनामा संदिग्ध है, क्योंकि वसीयतनामा के साक्षियों रतन सिंह एवं नंदराम के कथनों में विरोधाभास है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अनावेदकगण हितबद्ध व्यक्ति हैं, और उन्हें तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था, अतः अनुविभागीय अधिकारी को विलम्ब क्षमा करना चाहिए था । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोष के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है ।

उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक पक्ष तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, ऐसी स्थिति में उन्हें अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी नहीं होना माना जाएगा । अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को समय–सीमा में मानकर गुण–दोष पर सुनवाई कर आदेश पारित करने के लिए प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी गुण–दोष पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जाना है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा गुण–दोष पर आदेश पारित करना उचित नहीं होगा । उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में जो टिप्पणी की गई है, उसके आधार पर आदेश पारित नहीं कर स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालते हुए विधिसंगत आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर